[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या–39 एच०एल०ए०

हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025

हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) यह 12 नवम्बर, 2025 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2. हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उप–धारा (4) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:– 1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 1 का संशोधन।

"(5) धारा 13क के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध बीस या उससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे और इस अधिनियम की धारा 13क के उपबंध बीस से कम कर्मकारों को नियोजित करने वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे।"।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में,– 1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 7 का संशोधन।

(i) उप–धारा (1) में, "नौ घण्टों" शब्दों के स्थान पर, "दस घण्टों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ii) उप–धारा (2) में, परन्तुक में, खण्ड (क) में, "पचास" शब्द के स्थान पर, "एक सौ छप्पन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) में, "पांच घण्टे" शब्दों के स्थान पर, "छह घण्टे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 8 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:– 1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 13 का प्रतिस्थापन।

"13. प्रतिष्ठानों का पंजीकरण.– (1) बीस या उससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोजक, अपने कारबार के प्रारम्भ की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप में, ऐसी फीस और दस्तावेजों, जो विहित किए

जाएं, के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे–

(क) नियोजक तथा प्रबन्धक का नाम, यदि कोई हो;

(ख) प्रतिष्ठान की जी.पी.एस. अवस्थिति सहित डाक–पता;

(ग) प्रतिष्ठान का नाम;

(घ) प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या;

(ङ) प्रतिष्ठान के कारबार की प्रकृति; तथा

(य) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं।

(2) दस्तावेजों और फीस के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, निरीक्षक, आवेदन और उससे संलग्न दस्तावेजों की यथार्थता की जाँच करेगा और संतुष्टि होने पर नियोजक को ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) के अधीन यथा अधिसूचित समय–सीमा के भीतर नियोजक को ऑनलाइन पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(3) उप–धारा (2) के अधीन जारी किया गया कोई पंजीकरण प्रमाण–पत्र तब तक वैध रहेगा, जब तक इसे संशोधित नहीं किया जाता या प्रतिष्ठान के बन्द होने पर रद्द नहीं कर दिया जाता या निरीक्षक द्वारा जाँच करने के पश्चात्, ऐसी शर्तों पर और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में प्रतिसंहरण नहीं किया जाता।

(4) नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन में दिए गए विवरणों में किसी भी परिवर्तन की सूचना, परिवर्तन होने के सात दिन के भीतर ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में निरीक्षक को ऑनलाइन देवे।

(5) प्रतिष्ठान, नियोजक, प्रबन्धक के नाम और कार्यबल विवरणों के सम्बन्ध में परिवर्तन के मामले में, नियोजक, उप–धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार संशोधित पंजीकरण प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन करेगा और संशोधित पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(6) नियोजक, प्रतिष्ठान के बन्द होने के बारे में, बन्द होने के तीस दिन के भीतर निरीक्षक को ऑनलाइन सूचित करेगा। निरीक्षक, सूचना प्राप्त होने पर और उसकी यथार्थता के बारे में संतुष्ट होने पर, प्रतिष्ठान के रजिस्टर में से ऐसे प्रतिष्ठान का नाम हटा देगा और पंजीकरण प्रमाण–पत्र को रद्द कर देगा।

(7) इस धारा के उपबन्धों के किसी भी उल्लंघन, अथवा की अनुपालना करने में असफल रहने के मामले में, नियोजक, प्रथम उल्लंघना के लिए ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो तीन हजार रूपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दस हजार रूपए तक की हो सकेगी और द्वितीय उल्लंघना के मामले में, वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पाँच हजार रूपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु पच्चीस हजार रूपए तक की हो सकेगीः

परन्तु लगातार उत्तरगामी उल्लंघना के मामले में, सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक दिन के लिए पाँच हजार रूपए की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

13क. बीस से कम कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान की सूचना.– बीस से कम कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोजक, अपने कारबार को प्रारम्भ करने की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर निरीक्षक को ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत करेगा। सूचना देने वाले नियोजक को एक मूल सूचना प्रपत्र आई0डी0 संख्या दी जाएगी।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (3) में, "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 2 के खण्ड (28)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 19 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 20 की उप–धारा (5) तथा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:– 1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 20 का संशोधन।

"(5) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के किसी उल्लंघन के मामले में, किसी प्रतिष्ठान का नियोजक, ऐसे प्रत्येक दिन, जिसके दौरान उल्लंघन होता है या जारी रहता है, के लिए ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पाँच सौ रूपए से अधिक की नहीं हो सकेगी।

(6) यदि कोई व्यक्ति, धोखा देने के आशय से, यथा पूर्वोक्त किसी ऐसे अभिलेख, पंजी या नोटिस में ऐसी कोई प्रविष्टि करता है, या करवाता है, या करने को अनुमत करता है, जो उसकी जानकारी के अनुसार किसी तात्विक विशिष्टि की दृष्टि से मिथ्या है, या किसी ऐसे अभिलेख, पंजी या नोटिस से उसमें किए जाने के लिए अपेक्षित किसी प्रविष्टि का जानबूझकर लोप करता है, या लोप करवाता है अथवा लोप करने को अनुमत करता है, तो वह प्रथम उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो तीन हजार रूपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दस हजार रूपए तक की हो सकेगी और द्वितीय उल्लंघना के मामले में, वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पाँच हजार रूपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु पच्चीस हजार रूपए तक की हो सकेगी:

परन्तु लगातार उत्तरगामी उल्लंघना के मामले में, सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक दिन के लिए पाँच सौ रूपए की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।"।

8. मूल अधिनियम की धारा 20 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:– 1958 के पंजाब अधिनियम 15 में धारा 20क और 20ख का रखा जाना।

"20क. नियुक्ति पत्र.– किसी प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोजक अपने सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देगा, जिस पर कर्मचारी का फोटो चिपका होगा तथा उसकी पावती प्राप्त करेगा।

20ख. पहचान पत्र.– किसी प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोजक प्रत्येक कर्मकार को एक पहचान पत्र देगा, जिसमें ऐसे विवरण शामिल होंगे, जो विहित किए जाएं।"।

1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 21 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 21 की उप–धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(2) जो कोई भी उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लघंन करता है या इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में निरीक्षण प्राधिकारी को जानबूझकर बाधित करता है अथवा प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी को प्राधिकारी के सामने उपस्थित होने से या प्राधिकारी द्वारा परीक्षित किए जाने से छिपाता है या रोकता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो तीन हजार रूपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दस हजार रूपए तक की हो सकेगी।"।

1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 26 का प्रतिस्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"26. शास्तियाँ.– इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है और इस अधिनियम में ऐसे उल्लंघन के लिए किसी शास्ति का उपबन्ध नहीं किया गया है, तो वह प्रथम उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो तीन हजार रूपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दस हजार रूपए तक की हो सकेगी और द्वितीय उल्लंघन के मामले में, वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पाँच हजार रूपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु पच्चीस हजार रूपए तक की हो सकेगी:

परन्तु लगातार उत्तरगामी उल्लंघन के मामले में, सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक दिन के लिए पाँच सौ रूपए की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

11. (1) हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारण का विवरण

सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप, सरकार के अनुपालन भार को कम करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और श्रम कानूनों को आधुनिक कार्य प्रथाओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य के अनुरूप, पंजाब दुकानात और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों अधिनियम, 1958 की चयनित धाराओं की समीक्षा की गई है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य संचालन में लचीलापन बढ़ाना, बड़े प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की बेहतर सुरक्षा और छोटे प्रतिष्ठानों के लिए सरल अनुपालन सुनिश्चित करना, पंजीकरण और शुल्क भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन करना, श्रमिकों के कल्याण को सुदृढ़ करना और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना है।

संशोधन के तहत अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत एक नया उप–खंड सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, जो उन दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जिनमें बीस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। बीस से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान केवल धारा 13क के तहत विनियमित होंगे। यह संशोधन बड़े प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की बेहतर सुरक्षा और छोटे प्रतिष्ठानों के लिए सरल अनुपालन सुनिश्चित करेगा, मामूली उल्लंघनों के लिए अभियोजन का बोझ कम करेगा, जिससे संतुलित श्रम सुधार और व्यवसाय में आसानी को बढ़ावा मिलेगा।

प्रभावी व्यावसायिक संचालन को बढ़ावा देने और बेहतर कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करने हेतु, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्य समय से संबंधित कुछ संशोधन भी प्रस्तावित हैं।

धारा 7 के तहत, दैनिक कार्य घंटे नौ से बढ़ाकर दस घंटे किए जाने का प्रस्ताव है, जबकि साप्ताहिक कुल सीमा 48 घंटे बनी रहेगी। धारा 7 के तहत, त्रैमासिक ओवरटाइम की अधिकतम सीमा 50 घंटे से बढ़ाकर 156 घंटे करने का प्रस्ताव है, ताकि प्रतिष्ठान उच्च व्यावसायिक मांगों को कुशलतापूर्वक पूरा कर सकें।

धारा 8 में लगातार कार्य का अधिकतम समय पांच घंटे से बढ़ाकर छह घंटे करने का प्रस्ताव है।

धारा 13 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि पंजीकरण और शुल्क भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सके, प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके और अनुपालन को सहज बनाया जा सके। प्रतिष्ठान बंद होने की ऑनलाइन सूचना अनिवार्य होगी ताकि रिकॉर्ड सटीक रहें। बीस या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान निर्धारित सीमा पर पंजीकरण करेंगे, जबकि बीस से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान एक महीने के भीतर ऑनलाइन सूचना देंगे। अनुपालन न करने पर बढ़ाई गई दंड राशि जवाबदेही और प्रवर्तन को मजबूत करेगी।

उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (3) में "भारतीय दंड संहिता की धारा 21" के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (केंद्रीय अधिनियम 45, 2023) की धारा 2(28)" का उल्लेख करने का प्रस्ताव है, जिससे अधिनियम को केंद्रीय कानून के अद्यतन प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके।

धारा 20 की उप–धारा (6) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि इसके प्रावधान को अपराधमुक्त किया जा सके और उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाया जा सके। इस संशोधन से मामूली उल्लंघनों के लिए अभियोजन का बोझ कम होगा और वित्तीय निवारक उपायों के माध्यम से अनुपालन बढ़ेगा।

धारा 20क के अंतर्गत एक नया उप–खंड सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ताकि सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करना अनिवार्य हो। यह रोजगार की औपचारिकता सुनिश्चित करेगा, पारदर्शिता बढ़ाएगा और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा।

धारा 21 और 26 के तहत दंड राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे उल्लंघनों के प्रति निवारक प्रभाव बढ़ेगा, नियोक्ताओं द्वारा समय पर अनुपालन सुनिश्चित होगा और कानूनी प्रवर्तन सुदृढ़ होगा, जिससे श्रमिकों की बेहतर सुरक्षा और प्रतिष्ठानों के सुचारू संचालन की सुविधा मिलेगी।

चूंकि हरियाणा विधान सभा वर्तमान में सत्र में नहीं था एवं पंजाब दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों अधिनियम, 1958 में प्रस्तावित संशोधनों को लागू करने हेतु तत्काल विधायी कार्रवाई आवश्यक थी। संशोधन के माध्यम से किए गए सुधार राज्य सरकार की व्यापार करने मे सुगमता पहल, छोटे रेगुलेटरी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और श्रम कानूनों के आधुनिकीकरण के प्रयासों के अभिन्न अंग हैं। कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी व्यापार सुगमता की गति और राज्य की राष्ट्रीय व्यापार करने मे सुगमतामानकों के अनुपालन को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करती। इसके अलावा यह संशोधन काम के घंटों को तर्कसंगत बनाता है, डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाएं शुरू करता है, और जेल की सजा के प्रावधानों को हटाता है, जो बिजनेस संस्थानों और मजदूरों दोनों की स्पष्टता, निश्चितता और राहत देने के लिए जरूरी है। इसलिए, जनहित में और प्रशासनिक या कानूनी खालीपन के बिना सुधार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा विधानसभा के सत्र का इंतजार करने के बजाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के तहत अध्यादेश जारी करना अनिवार्य था। अब इस विधेयक को हरियाणा विधानसभा के आने वाले सत्र में पेश किया जा रहा है।

इन संशोधनों को अधिनियम में शामिल करने की जरूरत है।

अनिल विज,
श्रम मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 18 दिसम्बर, 2025

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

हरियाणा दुकानात एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम–15) एवं इसके पश्चात्वर्ती संशोधन का उद्धरण

अनुभाग	उद्धरण
धारा 7 की उपधारा–1	(1) इस अधिनियम के उपबंन्धों की अधीन रहते हुए, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रतिष्ठान के कारबार के विषय में किसी भी एक सप्ताह में अड़तालीस घण्टों से और किसी भी एक दिन में नौ घण्टों से अधिक के लिए नियोजित नही किया जाएगा।
धारा 7 की उपधारा–2 (क)	(2) काम के मौसमी या अपवादात्मक दबाव के अवसरों पर किसी प्रतिष्ठान पर नियोजित किसी व्यक्ति को उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य–समय से अधिक समय पर प्रतिष्ठान के कारबार के विषय में नियोजित किया जा सकता है: परंतु:– (क) किसी कर्मचारी द्वारा किए गए काम के समयोपरि की कुल संख्या किसी एक तिमाही की अवधि के भीतर पचास घण्टे से अधिक न हो और (ख) अति समय के लिए नियोजित व्यक्ति को पारिश्रमिक उसकी सामान्य मजदूरों, घण्टे के हिसाब से गिनकर, दुगुनी कर दी जाएगी।
धारा 8 की उपधारा–1	(1) धारा 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी कर्मचारी का किसी प्रतिष्ठान में चौकीदार, पहरेदार या रक्षक के सिवाय, पांच घंटे से अधिक के लिए तब तक काम नहीं करने दिया जाएगा, जब तक कि उसने उससे पहले कम से कम आधे घण्टे का विश्राम के लिए अन्तराल प्राप्त न कर लिया हो: परन्तु सरकार, अधिसूचना द्वारा प्रतिष्ठान के किसी वर्ग के बारे में सारे राज्य या उसके किसी भाग के लिए, जो वह आवश्यक समझे, विश्राम के लिए अन्तराल, नियत कर सकती है।
धारा 13	(1) उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोजक विहित प्ररूप में ऐसी फीस के साथ जो विहित की जाए एक विवरण सम्बन्धित विहित प्राधिकारी को भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी– (क) नियोजक और प्रबन्धक का नाम, यदि कोई हो; (ख) प्रतिष्ठान का डाक–पता; (ग) प्रतिष्ठान का नाम, यदि कोई हो;

(घ) प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या; और

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं।

(2) (i) विवरण तथा विहित फीस की प्राप्ति पर, प्राधिकारी, विवरण के सही होने के बारे में सन्तुष्ट होने पर, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रतिष्ठानों की पंजी में प्रतिष्ठान को दर्ज करेगा और नियोजक को एक विहित प्ररूप (फर्म) में पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करेगा। निरीक्षक द्वारा मांग किए जाने पर पंजीकरण प्रमाण–पत्र नियोजक द्वारा उसे दिखाया जाएगा।

(ii) पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रत्येक तीन वर्ष बाद 31 मार्च तक नवीकरणीय होगा। तथापि, तीस दिन की माफी–अवधि, विहित फीस के भुगतान के बाद, प्रमाण–पत्र के नवीकरण के लिए अनुज्ञात की जाएगी।

(3) नीचे दिए गए स्तम्भ (1) में प्रतिष्ठानों के बारे में स्तम्भ 2 में वर्णित तिथि से तीस दिन के भीतर विहित फ़ीस सहित विवरण, उप–धारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी को भेजा जाएगाः–

प्रतिष्ठान	तिथि जिस से 30 दिन की अवधि प्रारंभ होती है
1	2
(i) ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान प्रतिष्ठान जिनमें यह अधिनियम लागू होता है	तिथि जिसको यह अधिनियम लागू होता है या वह तिथि जिसको यह अधिनियम विस्तारित किया गया है, जैसी भी स्थिति हो।
(ii) ऐसे क्षेत्रों में नए प्रतिष्ठान।	तिथि जिसको प्रतिष्ठान अपना काम प्रारंभ करता है

(4) इस धारा के अधीन अपने विवरण में अन्तर्वर्णित किसी सूचना के बारे में किसी परिवर्तन को, परिवर्तन हो जाने के बाद सात दिन के भीतर विहित प्ररूप में, विहित प्राधिकारी को सूचित करना नियोजक का यह कर्तव्य होगा। प्राधिकारी, ऐसा नोटिस मिलने पर तथा उसके सही होने के बारे संतुष्ट हो जाने पर, ऐसे नोटिस के अनुसार प्रतिष्ठानों के रजिस्टर में परिवर्तन करेगा और पंजीकरण प्रमाण–पत्र को, यदि आवश्यक हो, तो संशोधित करेगा।

(5) नियोजक, अपना प्रतिष्ठान बन्द होने के दस दिन के भीतर, विहित प्राधिकारी को तद्नुसार लिखित रूप में अधिसूचित करेगा। प्राधिकारी सूचना की प्राप्ति पर, और उसके सही होने के बारे में संतुष्ट होने पर, प्रतिष्ठानों की पंजी से ऐसे प्रतिष्ठान का नाम काट देगा और पंजीकरण प्रमाण–पत्र को रदद कर देगा।

(6) इस धारा के उपबन्धों के किसी उल्लंघन की दशा में अथवा अनुपालन में असफल रहने की दशा में, नियोजक दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने के लिए दायी होगा, जो एक हजार रूपये से कम न हो किन्तु जो विहित पंजीकरण अथवा नवीकरण फीस, जैसी भी स्थिति हो, सहित तीन हजार रूपये तक हो सकता है :

परन्तु नियोक्ता से इस प्रकार वसूल की गई पंजीकरण या नवीकरण फीस की राशि सरकारी खजाने में या यथाविहित किसी अन्य ढंग में भुगतान की जाएगी ताकि विहित प्राधिकारी को पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने या नवीकरण करने, जैसी भी स्थिति हो, के लिए समर्थ बनाया जा सके।

धारा 19 की उपधारा–3

(3) इस धारा के अधीन नियुक्त प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझा जाएगा।

धारा 20 की उपधारा–5

(5) इस धारा के पूर्वगामी किन्हीं उपबन्धों के किसी उल्लंघन की दशा में, किसी प्रतिष्ठान का नियोजक, दोषसिद्धि पर, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसका उल्लंघन होता है या जारी रहता है, पांच रूपये तक के जुर्माने का दायी होगा।

धारा 20 की उपधारा–6

(6) यदि कोई व्यक्ति, धोखा देने के आशय से, यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अभिलेख, पंजी या नोटिस में ऐसी कोई प्रविष्टि, जो उसकी जानकारी के अनुसार किसी तात्विक विशिष्ट की दृष्टि से मिथ्या है, करता है या करवाता है या उसे किए जाने देता है, या किसी अभिलेख, पंजी या नोटिस से उसमें किए जाने के लिए अपेक्षित किसी प्रविष्टि को जानबूझ कर लुप्त करता है, या लुप्त करवाता है अथवा लुप्त करने देता है, तो वह, दोषसिद्धि पर, तीन मास तक की अवधि के कारावास या जुर्माने का, जो कम से कम पच्चीस रूपये और दो सौ रूपये हो सकता है या दोनों के लिए दायी होगा।

धारा 21 की उपधारा–2

(2) जो कोई भी उप–धारा 1 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग करने में निरीक्षण प्राधिकारी को जानबूझ कर बांधित करता है अथवा प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी को प्राधिकारी के सामने पेश होने से या प्राधिकारी द्वारा परीक्षित किए जाने से छिपाता है या रोकता है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने का दायी होगा,

जो कम से कम पच्चीस रूपये होगा और जो दो सौ रूपये तक हो सकता है।

धारा 26

इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है और इस अधिनियम में ऐसे उल्लंघन के लिए कोई भी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, तो वह दोषसिद्धि पर, प्रथम अपराध के लिए एक सौ रूपये तक, तथा पश्चात्वर्ती प्रत्येक अपराध के लिए तीन सौ रूपये तक के जुर्माने का दायी होगा:

परंतु उसी वर्ष के भीतर पश्चात्वर्ती प्रत्येक अपराध के सम्बन्ध में जुर्माना किसी भी दशा में एक सौ रूपये से कम नहीं होगा।

12298—H.V.S.—H.G.P., Chd.